महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE RUHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांकः रू.वि.वि / नोडल / 2022 / 291 दिनांकः 11 / 06 / 2022

छात्रवृत्ति सूचना

सेवा मे,

प्राचार्य / प्राचार्या (राजकीय / अशासकीय / स्ववित्तपोषित)
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

विषयः—छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2022—23 के मास्टर डाटा की हार्ड कॉपी जमा करने के सम्बद्ध में।

महोदय / महोदया,

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से संबन्धित नवीन / पूर्व से संचालित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है, सत्र 2022—23 के प्रथम चरण हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूति के मास्टर डाटा डिजिटल लॉक की हार्ड कॉपी नोडल अधिकारी कार्यालय एम0बी0ए0 विभाग विश्वविद्यालय परिसर में श्री उमेश कुमार (मोबाइल नम्बर 9536216267) के पास दिनांक 30 जून 2022 शाम 5:00 बजे तक निम्नलिखित प्रपत्रो के साथ जमा कराने का कष्ट करें —

1. कवरिंग लेटर 2. डिजिटल लॉक मास्टर डाटा 3. सम्बद्धता पत्र 4. अनुमोदन पत्र 5. आइस कोड (AISHE Certificate) 6. आधार कार्ड की छायाप्रति (प्राचार्य / प्राचार्या, नोडल अधिकारी) 7. पैन कार्ड की छायाप्रति(प्राचार्य / प्राचार्या, नोडल अधिकारी) 8. छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र—छात्राए की सूची।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि एवं समय तक अपने महाविद्यालय का मास्टर डाटा संलग्नकों सहित जमा कराने का कष्ट करें, उक्तनिर्धारित तिथि के पश्चात मास्टर डाटा को अग्रसरित कर पाना संभव नही होगा। ऐसी स्थिति मे यदि महाविद्यालय के छात्र—छात्राएँ छ त्रवृत्ति हेतु आवेदन भरने से वंचित रह जाते हैं तो उसका पूर्ण उत्तरदयित्व सम्बधित महाविद्यालय का होगा।

भवदीय

प्रो0 (पी0बी0 सिंह)
नोडल अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, लखलऊ
2. कुलसचिव, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड वि0वि0।
3. निजि सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रो0 (पी0बी0 सिंह)
नोडल अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति

" FOR KIND ATTENTION OF ALL COLLEGES "

वर्ष 2022–23 हेतु शैक्षणिक संस्थाओं के लिये आवश्यक सूचना

- प्रत्येक शिक्षण संस्थान को अपना मास्टर डाटा वर्ष 2022–23 के लिए जारी समय सारिणी में दी गयी निर्धारित समयावधि में समस्त सूचनाओं (संस्थान का समस्त विवरण, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम का वर्षवार पूर्णांक (सेमेस्टर होने की दशा में दो सेमेस्टर जोडकर एवं सक्षम स्तर से निर्धारित फीस) को अपडेट करते हुये नोडल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक किया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्थायें मास्टर डाटा को अपडेट करने, उनमें पूर्व में प्रदर्शित सूचनाओं में संशोधन करने, पाठ्यक्रम को हटाने या जोड़ने तथा शुल्क के विवरण को अद्यतन करने एवं उससे सम्बन्धित शासनादेशों/आदेशों को अपलोड करने का कार्य निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।
- **Result Yet Not Declared** का आप्शन छात्र को आनलाइन आवेदन में पास एवं प्रोन्नत आप्शन के अलावा आप्शन दिया गया है तथा ऐसा डाटा संदेहास्पद डाटा के रूप में ही प्रदर्शित होगा तथा छात्र का परीक्षा फल सन्देहास्पद डाटा को सही करने की दी गई समयावधि में छात्र द्वारा पूर्ण करके आवेदन को दोबारा फाइनल सब्मिट करना होगा तथा संस्था को भी परीक्षा परिणाम की पुष्टि करते हुए समयान्तर्गत अग्रसारित करना अनिवार्य होगा। सन्देहास्पद डाटा को सही करने की अन्तिम तिथि तक परीक्षाफल घोषित न होने पर ऐसे डाटा वाले छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी अर्थात डाटा को जनपद/निदेशालय स्तर से रिजेक्ट/ब्लाक कर दिया जायेगा।
- सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु **ए0आई0सी0टी0ई0** द्वारा मान्यता प्रदत्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाली शिक्षण संस्थाओं को एन0बी0ए0 ग्रेडिंग व निजी विश्वविद्यालय को **नैक ग्रेडिंग–बी** अथवा उससे उपर होना आवश्यक है। उक्त दोनो ग्रेडिंग प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र ही छात्रवृत्ति के पात्र होगें। उक्तानुसार संस्थान मास्टर डाटा में अंकन करना सुनिश्चित करेगें तथा छात्रों को प्रवेश देते समय भी इस व्यवस्था के सम्बन्ध में अवगत करायेगें।
- कक्षा 9–10 एवं कक्षा 11–12 के लिए यू0–डाइस (**U-DISE**) कोड तथा अन्य उच्च कक्षाओं के लिए आइस कोड (**AISHE**) होना आवश्यक होगा। सभी संस्थान तद्नुसार अपना सही कोड भरना सुनिश्चित करेंगें।
- नवीन शिक्षण संस्थान जिनकी मान्यता 15 जुलाई 2022 या इससे पूर्व की होगी, वे संस्थान ही पोर्टल पर आनलाइन आवेदन समस्त सूचनाओं सहित भरेगें एवं उसे सबमिट करेगें तथा समस्त अभिलेखों की हार्डकापी जिला विद्यालय निरीक्षक/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी (जिससे सम्बद्ध हो) एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी के यहां जमा करेगें। जिला विद्यालय निरीक्षक/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी (जिससे सम्बद्ध हों) द्वारा सत्यापित कर आनलाइन अग्रसारित करने के उपरान्त आनलाइन आवेदन पत्र/हार्डकापी एवं समस्त अभिलेखों के सही पाये जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लागिन एवं पासवर्ड संस्था को दिया जायेगा जिससे नवीन संस्था के नोडल अधिकारी/प्राचार्य उपरोक्तानुसार मास्टर डाटा पूर्ण/अपडेट करते हुए डिजिटल हस्ताक्षर करेंगें। मास्टर डाटा को डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक न करने की दशा में संम्बन्धित संस्था के छात्र आनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे।
- प्रत्येक संस्था को गतवर्ष छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले छात्र द्वारा गतवर्ष की उपस्थिति का प्रतिशत तथा छात्र गतवर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ